न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिहंनगर

ठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह, आर. ए. एस.

करण संख्या 92/2018

1. अंकुश कड़वासरा पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी 5 ई छोटी, विश्वनाथ कॉलोनी, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राज0)

—:प्रार्थी

बनाम

1. महावीर प्रसाद पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी साहूवाला हाल रावला तहसील तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर
2. रणवीर सिंह पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राज0)
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर

—:अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधि

उपस्थिति :—

1 श्री सन्त कुमार बिश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थी

2 श्री अजय तनेजा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1—2

—: निर्णय :—

दिनांकः—18.11.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी अंकुश कड़वासरा पुत्र बृजलाल ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88—188—92ए—209 आरटी एक्ट का पेश कर उसके साथ यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि विवादित भूमि चक 7 जेकेएम खाता सं. 71 प.नं. 182/383 मु.नं. 21 के कि.नं. 11ता 25/2 की कुल 3.542है. क./अ.क. भूमि 2/3 भाग अप्रार्थी सं. 1 महावीर प्रसाद एवं 1/3 भाग रणवीर सिंह अप्रार्थी 2 के नाम दर्ज हैं। अप्रार्थी सं. 1 महावीर प्रसाद प्रार्थी का चाचा एवं रणवीर सिंह उसका ताया हैं। उक्त भूमि पर प्रार्थी व उसके परिजनों का प्रारम्भ से ही कब्जा चला आ रहा हैं। प्रार्थी के दादा ख्यालीराम के नाम चक 9 डीबीएन के पं.नं. 70/291, 71/291 की 30—00 बीघा भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। कब्जा अनुसार भूमि अभिलेखों में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के नाम नही होने से दिनांक 18.02.2018 को पंचायत बुलाते हुए आपसी सहमति से समझौता अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा 7 जेकेएम में स्थित भूमि से प्रार्थी वा उसके परिजनों के कब्जे में चली आ रही भूमि प्रार्थीया उसके नामित व्यक्ति के पक्ष में अन्तरित कराना व चक 9 डीबीएन की 30 बीघा भूमि दोनो अप्रार्थीगण के पक्ष में नामान्तरित करवाना तैय पाया गया और रावला व साहुवाला स्थित अहाताजात का भी बंटवारा किया गया। उक्त पंचायती समझौता की पालना में चक 9 डीबीएन की 30 बीघा भूमि को अपने दादा के जरिये अप्रार्थीगण के पक्ष में नामान्तरित करवाते हुए अप्रार्थीगण से अनुरोध करता रहा कि पंचायती समझौता की पालना में प्रार्थी के कब्जा में चली आ रही विवादित भूमि की खातेदारी अधिकार स्वीकार करते हुए नामान्तरित करने की अपेक्षित कार्यवाही करें। लेकिन प्रथमतः टालमटोल करने के पश्चात अन्ततः दिनांक 28.06.18 को इससे इन्कार करते हुए

(राजेन्द्र सिंह)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

विवादित भूमि को दोषपूर्ण तरीके से बेदखल कर अन्य को भूमि रहन बैय करने की धमकी है। अगर अप्रार्थीगण उक्त अवैधानिक कृत्य में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः चक 7 जेकेएम के खाता सं. 71 पं.नं. 182/383 मु.नं. 21 की 3.542 है0 भूमि पर प्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में मदाखलत बेजा करने एवं सिंचाई सुविधा से वंचित करने तथा भूमि से प्रार्थी को बेदखल कर कब्जा अन्य को सुपूर्द करने भूमि को रहन बैय करने से वर्जित किया जावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 29.06.18 को अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर विवादित भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति की जारी की गई एवं अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी महावीर प्रसाद ने अपने जवाब में प्रार्थना–पत्र की मदों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि पर कब्जा काश्त अप्रार्थीगण का है। चक 9 डीबीएन में ख्यालीराम के नाम से 30–00 बीघा भूमि नही होकर 45–00 बीघा भूमि है। विवादित भूमि को लेकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य दिनांक 18.02.18 को कोई पंचायत नही हुई है। समझौता पत्र दिनांक 18.02.18 फर्जी व कूटरचित तरीके से तैयार किया गया है। जिस पर महावीर के हस्ताक्षर भी गलत फर्जी किये है। रणवीर सिंह के हस्ताक्षर उक्त समझौता पर नही है। चक 9 डीबीएन के पैतृक सम्पति को अप्रार्थीगण के पिता दादा द्वारा बंटवारा एवं हिस्सा अनुसार जरिये दान पत्र प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पुत्रों को दे दी तथा उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। दिनांक 07.03.18 को जरिये शपथ पत्र प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पुत्रों द्वारा उक्त रकबा अप्रार्थीगण के पिता ख्यालीराम को दी हुई है। प्रार्थी/अप्रार्थीगण के मध्य भूमि एवं अहाता को लेकर कोई बंटवारा नही हुआ है। विवादित भूमि अपनी एकल आमदनी से जरिये बैयनामा खरीद की है। जो पैतृक सम्पति की परिभाषा में नही आती है। अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि को हिस्सा ठेके पर काश्त करवाता है। विवादित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त नही है। प्रार्थी विवादित भूमि खातेदार टिनेन्ट नही है। प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्व किसी प्रकार की व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थी सं. 2 ने भी अपने जवाब में प्रार्थना–पत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया।

उभय पक्ष के वकीलों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस में कथन है कि विवादित भूमि घरेलू समझौता दिनांक 18.02.2018 अनुसार भूमि दी गई है। जिस पर उसका कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थीगण विवादित भूमि को आगे अन्तरण कर भूमि को बैय/हस्तान्तरण करना चाहते है। अगर अप्रार्थीगण इस उदेश्य में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी एवं अनावश्यक मुकदमेंबाजी बढेगी। अतः न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा को वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जावे। अप्रार्थीगण के वकील ने अपने कथनों में निवेदन किया कि विवादित भूमि जरिये पंजीबद्व बैयनामा दिनांक 26.05.1992 को खरीदशुद्वा है। जिसका नामान्तरण राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज हो चुके है। विवादित भूमि पर बतौर खरीददार खातेदार की हैसियत से उनका शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थीगण के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार/सहखातेदार भी नही है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्ष के वकीलों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्यों के आधार से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण ने विवादित भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 26.05.92 की शेरचन्द पुत्र चौथाराम जाति औड चक 7 जेकेएम से 1,84000/–रूपये का सौदा होने पर रूपये 94000/– पहले एवं शेष 90000/– कुल 1,84000/–रूपये प्राप्त कर गवाहान के समक्ष बैयनामा अप्रार्थीगण के नाम से

(राजेन्द्र सिंह)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Become our fan on facebook
Scanned by CamScanner

उपपंजीयक रायसिंहनगर से पंजिबद्ध करवाया गया। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 चक 1 जेकेएम के खाता सं. 71/74 मु.नं. 21 पं.नं. 182/383 की 3.542 है0 क/अ.क भूमि रणजीत सिंह 1/3 हिस्सा व महावीर प्रसाद 2/3 हिस्सा पि0 ख्यालीराम जाट साकिन साहुवाला खातेदार रहिन एमजीबी शाखा श्रीविजयनगर दर्ज है।

प्रार्थी विवादित भूमि को जो दिनांक 18.02.18 जो साधारण कागज पर हस्तलिखित है के आधार पर अपने खातेदारों के अधिकारों की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से यह साबित है कि अप्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार टिनेन्ट है। किसी रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व कोई अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को नही होकर अप्रार्थीगण को होगी। अतः प्रथम दृष्ट्या सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है। न्यायालय की मत में किसी रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। प्रार्थना–पत्र अस्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र 212 राज.काश्त. अधिनियम खारिज किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 29.06.18 निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2019.12.10 15:24:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: